



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राजेश्वर सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Dr. Rajeshwar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: +91-7152-247602

क्रमांक : 103/Gen.Admn/Social Media&Stu./28/2019/174
दिनांक : 09.10.2019

निष्कासन आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 003/2003/का.आ./02-85/2019 दिनांक 07.10.2019 एवं आदेश क्रमांक 003/2003/सा.प./01-127/2019 दिनांक : 09.10.2019 तथा विधानसभा चुनाव 2019 के आलोक में लागू आचार संहिता के उल्लंघन व न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हेतु आयोजित किए जा रहे सामूहिक धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत करते हुए निम्नलिखित विद्यार्थियों/शोधार्थियों को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है—

1. श्री चंदन सरोज, समाज कार्य (एम.फिल), पी.जी. डिप्लोमा, स्त्री अध्ययन विभाग
2. श्री नीरज कुमार, गांधी एवं शांति अध्ययन (पी-एच.डी)
3. श्री राजेश सारथी,
4. श्री रजनीश अम्बेडकर, स्त्री अध्ययन विभाग
5. श्री पंकज वेला,
6. श्री वैभव पिंपलकर,

यह सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।

(कुलसचिव)

प्रति,

संबंधित निष्कासित विद्यार्थी/शोधार्थी

प्रतिलिपि,

1. मा. कुलपति महोदय को सूचनार्थ
2. संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
3. कुलानुशासक, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
4. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
5. संबंधित छात्रावास अधीक्षक, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
6. वित्ताधिकारी, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
7. पुस्तकालयाध्यक्ष, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
8. सहायक कुलसचिव (परीक्षा), म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
9. लीला प्रभारी, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा को निष्कासित छात्रों की इंटरनेट सेवा बंद करने व निष्कासन आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. जनसंपर्क अधिकारी, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
11. सुरक्षा अधिकारी, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
12. संबंधित पत्रावली